अनुदान संख्या 104 - जल संसाधन मंत्रालय
GRANT No. 104 – MINISTRY OF WATER RESOURCES

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत -	Voted –					
मूल	Original	1150,03,00		1150,06,00	983,86,15	-166,19,85
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					88,45,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged-*			*4,00,00*	*10*	*-3,99,90*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*50,00*
स्वीकृत-	Voted –			95,30,00	82,16,38	-13,13,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					11,05,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	6998.00	6907.46	4996.90	-1910.56
पु.	R.	-90.54			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	8231.00	26.75	..	-26.75
पु.	R.	-8204.25			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "2701" मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	Major Head "2701" Major and Medium Irrigation				
मू.	O.	48056.00			
पू.	S	2.00	43875.18	39649.59	-4225.59
पु.	R.	-4182.82			
मुख्य शीर्ष "2702" लघु सिंचाई	Major Head "2702" Minor Irrigation				
मू.	O.	23708.00			
पू.	S.	1.00	25285.77	24865.73	-420.04
पु.	R.	1576.77			
मुख्य शीर्ष "2711" बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी	Major Head "2711" Flood Control and Drainage				
मू.	O.	12335.00			
			17540.84	16597.03	-943.81
पु.	R.	5205.84			
मुख्य शीर्ष "3075" अन्य परिवहन सेवाएं	Major Head "3075" Other Transport Services				
मू.	O.	4359.00			
			4280.00	4181.21	-98.79
पु.	R.	-79.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	11310.00			
			8238.00	8090.89	-147.11
पु.	R.	-3072.00			

(I) ₹8843.00 लाख का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹8706.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹8843.00 lakhs remained wholly unutilized under ten heads; of these ₹8706.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय" -

(i) "नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य" - ₹7400.00 लाख ;

(ii) "बाढ़ का पूर्वानुमान" - ₹200.00 लाख ;

(ख) "सामान्य (मुख्य और मध्यम सिंचाई) - अन्य व्यय - जल संसाधन विकास स्कीम का अन्वेषण" - ₹200.00 लाख ; और

(ग) "भू-जल अन्वेषण - भू-जल प्रबंधन और विनियमन" - ₹300.00 लाख।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2701" - "सामान्य - अन्य व्यय - नदी क्षेत्र संगठन/प्राधिकरण" - ₹400.00 लाख महानदी और गोदावरी नदियों के लिए नदी क्षेत्र संगठन का गठन करने के लिए राज्य सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान - मुख्य सिंचाई (गैर-वाणिज्यिक) - सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना - सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना" - ₹206.00 लाख पंजाब करार समापन अधिनियम, 2004 के संबंध में राष्ट्रपति के संदर्भ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "सचिवालय - जल संसाधन मंत्रालय" - ₹1356.84 लाख की बचत (₹5717.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश यात्रा खर्चों, विवाचन न्यायालय तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) Major Head "2552"-

(a) "Flood Control - Other Expenditure" –

(i) "River Management Activities and Works related to Border Areas"- ₹7400.00 lakhs;

(ii) "Flood Forecasting" – ₹200.00 lakhs;

(b) "General (Major and Medium Irrigation) – Other Expenditure – Investigation of Water Resources Development Scheme" – ₹200.00 lakhs; and

(c) "Ground Water Investigation – Ground Water Management and Regulation" – ₹300.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "2701" - "General - Other Expenditure – River Basin Organisation/ Authority" - ₹400.00 lakhs –due to non-receipt of proposals from the State Governments for constitution of River Basin Organization for Mahanadi and Godavari rivers.

(C) Major Head "3601"- "Non Plan Grants – Major Irrigation (Non Commercial) - Sutlej Yamuna Link Canal Project - Sutlej Yamuna Link Canal Project" - ₹206.00 lakhs - due to non-release of funds owing to the decision of Hon'ble Supreme Court in the matter of Presidential reference on Punjab Termination of Agreements Act, 2004.

(II) Under Major Head "3451" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Secretariat - Ministry of Water Resources" - saving of ₹1356.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5717.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards foreign travel expenses, arbitral court and professional services.

(खा) ''अन्य कार्यालय'' -

(क) ''वंसाधारा जल विवाद अधिकरण'' - ₹248.23 लाख की बचत (₹416.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरों और कार्यालय जगह की कमी की वजह से अधिकरण में सुनवाइयां कम होने के कारण हुई।

(ख) ''महादायी जल विवाद अधिकरण'' - ₹276.25 लाख की बचत (₹353.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिकारी/कर्मचारी की भर्ती और कार्यालय आवास को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2701'' - ''सामान्य'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''आंकड़ा संग्रहण - केन्द्रीय जल आयोग'' - ₹434.27 लाख की बचत (₹8775.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नयन स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने और कम यात्रा भत्ता बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''अनुसंधान'' -

(क) ''अनुसंधान और विकास कार्यक्रम'' - ₹1166.65 लाख की बचत (₹4589.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ''किसान भागीदारी कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम'' स्कीम के बंद हो जाने के कारण हुई।

(ख) ''जल विज्ञान परियोजना'' - ₹5235.32 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वचालित जल गुणता निगरानी स्टेशनों की स्थापना, परामर्शदात्री सेवाओं तथा उपस्कर और सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के लिए बोली को अंतिम रूप दिए जाने में हुए विलम्ब के कारण हुई।

(गा) ''जनजातीय उप योजना - ''सूचना, शिक्षा और संचार'' - ₹173.48 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों के प्राप्त होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(B) "Other Offices" -

(a) "Vansadhara Water Disputes Tribunal" - saving of ₹248.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹416.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours and less hearings in tribunal owing to lack of office space.

(b) "Mahadayi Water Disputes Tribunal" - saving of ₹276.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹353.50 lakhs) was due to delay in recruitment of officer/ staff and finalization of office accommodation.

(III) Under Major Head "2701"- "General" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Data Collection – Central Water Commission" – saving of ₹434.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8775.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of modified assured career progression scheme and receipt of less travelling allowance bills.

(B) "Research" –

(a) "Research and Development Programmes"- saving of ₹1166.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4589.00 lakhs) was due to discontinuation of "Farmers Participatory Action Research Programme" scheme.

(b) "Hydrology Project"- saving of ₹5235.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was due to delay in finalization of bid for establishment of Automatic Water Quality Monitoring Stations, consultancy services and procurement of equipment and software.

(C) "Tribal Area Sub Plan" – "Information, Education and Communication" – saving of ₹173.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to receipt of less proposals.

(घा) "उपरि यमुना नदी बोर्ड आरक्षित निधि/जमा लेखा को निधि का अंतरण - उपरि यमुना नदी बोर्ड" - ₹160.00 लाख की बचत (₹190.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिभागी राज्यों से कम भाग प्राप्त होने के कारण हुई।

(ङ) "अन्य व्यय" -

(क) "सूचना, शिक्षा और संचार" - ₹894.61 लाख की बचत (₹2300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अदायगियां केवल XIवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित कार्यकलापों के लिए की जाएं, इस प्रतिबंध की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना" - ₹162.05 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई संभावित अधिकतम प्रपाती भू-चित्रावलियों को तैयार करने के लिए गोदावरी और गंगा घाटी की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने और केन्द्रीय मृदा तथा सामग्री अनुसंधान स्टेशन द्वारा उपकरणों और साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति में विलम्ब होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2702" - "भू-जल - अन्वेषण-केन्द्रीय भू-जल बोर्ड' के अंतर्गत ₹166.16 लाख की बचत (₹10502.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नीति में परिवर्तन होने की वजह से रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2711" - "बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय - केन्द्रीय जल आयोग" के अंतर्गत ₹577.68 लाख की बचत (₹7239.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नयन स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने और कम यात्रा भत्ता बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3075" - "नदी प्रशिक्षण कार्य - फरक्का परियोजनाएं - फरक्का बांध" के अंतर्गत ₹121.15 लाख की बचत (₹3644.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नयन स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(D) "Transfer of Fund to the Upper Yamuna River Board Reserve Fund/Deposit Account - Upper Yamuna River Board" – saving of ₹160.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹190.00 lakhs) was due to receipt of less share from the participatory States.

(E) "Other Expenditure"—

(a) "Information, Education and Communication" - saving of ₹894.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2300.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to restriction that payments be made only for the activities pertaining to XIth Five year Plan.

(b) "Dam Safety Studies and Planning" - saving of ₹162.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to non-submission of the final report of Godavari and Ganga Basin for preparation of New Probable Maximum Precipitation Atlases and delay in procurement of instruments and software by Central Soil and Material Research Station.

(IV) Under Major Head "2702" – "Ground Water – Investigation – Central Ground Water Board"- saving of ₹166.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10502.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts owing to change in policy.

(V) Under Major Head "2711"- "Flood Control – Other Expenditure – Central Water Commission" – saving of ₹577.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7239.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of modified assured career progression scheme and receipt of less travelling allowance bills.

(VI) Under Major Head "3075" - "River Training Works - Farakka Projects - Farakka Barrage" - saving of ₹121.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3644.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of modified assured career progression scheme.

(VII) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VII) Under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes" – savings occurred under the following heads:-

(का) "सतही जल - अन्य अनुदान - जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" - ₹350.51 लाख की बचत (₹1104.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 5वीं लघु सिंचाई संगणना के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी करने में प्रतिबंध लगने के कारण हुई।

(A) "Surface Water – Other Grants – Development of Water Resources Information System" – saving of ₹350.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1104.00 lakhs) was due to restriction in release of funds towards 5th Minor Irrigation Census to the State Governments.

(खा) "बाढ़ नियंत्रण - अन्य अनुदान - नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण-कार्य" - ₹2662.60 लाख (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(B) "Flood Control - Other Grants - River Management Activities and Works related to Border Areas" – saving of ₹2662.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to receipt of less proposals from the State Governments.

(VIII) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹346.66 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत से 61 प्रतिशत तक थीं।

(VIII) Under five heads savings of ₹346.66 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 21 percent to 61 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1665.77 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2012 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (₹1665.77 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in March, 2012 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2701" - "सामान्य - अनुसंधान - राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान" - ₹166.00 लाख।

(A) Major Head "2701" – "General – Research - National Institute of Hydrology"- ₹166.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2702" - "भू-जल - अनुसंधान - भू-जल प्रबंधन और विनियमन" - ₹1499.77 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1331.73 लाख था।

(B) Major Head "2702" – "Ground Water – Investigation – Ground Water Management and Regulation" – ₹1499.77 lakhs. Actual excess, however, was ₹1331.73 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2701" - "सामान्य - परामर्श सेवा - केंद्रीय जल आयोग" - ₹171.21 लाख का अधिक व्यय (₹2573.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ता, वेतनवृद्धियों और लम्बित बकायों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2701" – "General - Consultancy - Central Water Commission" – excess of ₹171.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2573.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards dearness allowance, increments and pending arrears.

(खा) मुख्य शीर्ष “2711” - “बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय - नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य” - ₹4860.13 लाख का अधिक व्यय (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(B) Major Head “2711” – “Flood Control – Other Expenditure – River Management Activities and Works related to Border Areas”- excess of ₹4860.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(IX) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹194.28 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत से 36 प्रतिशत तक था।

(IX) Under three heads excess of ₹194.28 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 21 percent to 36 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :-

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष “7601” *राज्य सरकारों को कर्ज एवं अग्रिम*	Major Head “7601” *Loans and advances to State Governments*	*300.00*	..	*-300.00*

(I) *₹300.00 लाख* का *विनियोग* “योजनेतर स्कीमों के लिए कर्ज - बाढ़ नियंत्रण - अन्य कर्ज - पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्रों में आपदिक बाढ़ सुरक्षा निर्माण-कार्यों के लिए विशेष कर्ज सहायता” के अंतर्गत पंजाब राज्य सरकार से मांग प्राप्त न होने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹300.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under “Loans for Non-Plan Schemes - Flood Control - Other Loans - Special Loan assistance for emergent flood protection works in the Eastern and Western Sectors” - due to non-receipt of demand from the State Government of Punjab.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत *₹99.90 लाख* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का लगभग 100 प्रतिशत थी।

(II) Under one head saving of *₹99.90 lakhs* occurred constituting nearly 100 percent of the sanctioned *appropriation*.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4702" लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4702" Capital Outlay on Minor Irrigation				
मू.	O	1040.00			
			685.00	697.23	+ 12.23
पु.	R	-355.00			
मुख्य शीर्ष "4711" बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4711" Capital Outlay on Flood Control Projects				
मू.	O	1300.00			
			500.00	573.18	+ 73.18
पु.	R	-800.00			

(I) ₹250.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4702" - "भू-जल - अवसंरचना विकास" के अंतर्गत ₹342.77 लाख की बचत (₹1040.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) मुख्य शीर्ष "4711" - "बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय - अवसंरचना विकास" के अंतर्गत ₹726.82 लाख की बचत (₹1300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रारंभिक अनुमानों को प्रस्तुत न किए जाने की वजह से परियोजनाएं पूरी न होने के कारण हुईं।

(I) Provision of ₹250.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads.

(II) Under Major Head "4702" - "Ground Water - Infrastructure Development" – saving of ₹342.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1040.00 lakhs); and

(III) Under Major Head "4711" – "Flood Control – Other Expenditure – Infrastructure Development" – saving of ₹726.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-completion of projects owing to non-submission of preliminary estimates by Central Public Works Department.